कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 247/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक- 27.06.2026

थाना- सरायमीर, जनपद- आजमगढ़

साइबर हेल्प डेस्क की त्वरित कार्रवाई से साइबर ठगी के शिकार युवक को मिली राहत

एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से होल्ड कराए गए ₹5,000 न्यायालय के आदेश के उपरांत पीड़ित के खाते में कराए गए वापस

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों पर संचालित साइबर हेल्प डेस्क आमजन को साइबर अपराधों से राहत दिलाने हेतु निरंतर प्रभावी कार्यवाही कर रही है। इसी क्रम में थाना सरायमीर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर फ्रॉड के शिकार व्यक्ति की पूरी धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई।

घटना का विवरण-

दिनांक 20.04.2026 को आवेदक अरमान पुत्र इरशाद अहमद, निवासी देवापुर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ ने थाना सरायमीर स्थित साइबर हेल्प डेस्क पर सूचना दी कि उनके व्हाट्सएप पर **PhonePe** से संबंधित एक भ्रामक संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें नए डिवाइस को "Yes/No" के माध्यम से अपडेट करने का विकल्प दिया गया था। आवेदक द्वारा "Yes" पर क्लिक करते ही उनके बैंक खाते से ₹5,000/- की धनराशि साइबर ठगी के माध्यम से कट गई।

शिकायत प्राप्त होते ही थाना सरायमीर की साइबर हेल्प डेस्क द्वारा बिना विलंब किए **एनसीआरपी (National Cyber Crime Reporting Portal)** पर शिकायत संख्या **33104260086978** पंजीकृत कराते हुए संबंधित बैंक एवं माध्यमों से समन्वय स्थापित किया गया, जिसके फलस्वरूप पूरी **₹5,000/-** की धनराशि तत्काल **होल्ड** करा दी गई।

इसके उपरांत पीड़ित को माननीय न्यायालय से आवश्यक आदेश प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया गया। न्यायालय का आदेश प्राप्त होने के बाद आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए **₹5,000/- की सम्पूर्ण फ्रॉड धनराशि सफलतापूर्वक पीड़ित के बैंक खाते में वापस करा दी गई।**

यह कार्रवाई जनपद आजमगढ़ पुलिस की साइबर अपराधों के प्रति त्वरित एवं प्रभावी कार्यप्रणाली तथा आमजन के हितों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

साइबर हेल्प डेस्क की टीम-

उ0नि0 नीरज गौड़, आरक्षी सोनू कुमार गुप्ता, आरक्षी इन्द्रजीत यादव, महिला आरक्षी ममता सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

जनपद आजमगढ़ पुलिस की अपील-

किसी भी अनजान लिंक, संदेश अथवा कॉल पर अपनी बैंकिंग अथवा व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। साइबर ठगी होने पर तत्काल **1930 हेल्पलाइन** अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं तथा निकटतम पुलिस थाने/साइबर हेल्प डेस्क से संपर्क करें।

प्रेस नोट
थाना- गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

◆ ऑपरेशन वज्रपात के तहत सोशल मीडिया पर नकली पिस्टल के साथ वीडियो पोस्ट करने वाले युवक पर पुलिस की कार्रवाई
◆ प्लास्टिक की नकली पिस्टल से वीडियो बनाकर YouTube पर किया था पोस्ट, थाना परिसर में अभिभावकों की मौजूदगी में की गई काउंसलिंग
◆ सोशल मीडिया के दुरुपयोग एवं गैंग संस्कृति पर प्रभावी अंकुश के लिए आजमगढ़ पुलिस का अभियान लगातार जारी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सदर **श्रीमती आस्था जायसवाल** के कुशल नेतृत्व में जनपद में संचालित **"ऑपरेशन वज्रपात"** के अंतर्गत सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं में बढ़ रही गैंग संस्कृति एवं भय का वातावरण उत्पन्न करने वाली गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान थाना गम्भीरपुर पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई कि **मनीष पुत्र धर्मेन्द्र**, निवासी ग्राम खरैला, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ (उम्र लगभग 20 वर्ष) द्वारा **प्लास्टिक की नकली पिस्टल** के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म **YouTube** पर पोस्ट किया गया है। ऐसे वीडियो आमजन में भय एवं असुरक्षा की भावना उत्पन्न कर सकते हैं तथा युवाओं को गलत दिशा में प्रेरित करने की आशंका रहती है।

सूचना पर थाना गम्भीरपुर पुलिस द्वारा युवक को थाना परिसर बुलाया गया, जहाँ उसके अभिभावकों की उपस्थिति में विस्तृत काउंसलिंग की गई। पुलिस द्वारा कानून-व्यवस्था, यातायात नियमों, सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग तथा उसके दुरुपयोग से होने वाले कानूनी एवं सामाजिक दुष्परिणामों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।
आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त का **धारा 170/126/135 बीएनएसएस** के अंतर्गत चालान किया गया। साथ ही उसके अभिभावकों से अपील की गई कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखें तथा उन्हें कानून का पालन करने, सकारात्मक गतिविधियों में भाग लेने एवं सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करने के लिए प्रेरित करें।

जनसुरक्षा संदेश
आजमगढ़ पुलिस आमजन, विशेषकर युवाओं से अपील करती है कि सोशल मीडिया पर हथियारों, गैंग संस्कृति अथवा भय उत्पन्न करने वाली किसी भी प्रकार की फोटो, वीडियो या सामग्री पोस्ट न करें। ऐसे कृत्यों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
"ऑपरेशन वज्रपात" के अंतर्गत जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग, गैंग संस्कृति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाले तत्वों के विरुद्ध अभियान भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगा।

पुलिस टीम
- उ0नि0 रामसकल, कां0 विश्वमित्र **थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़**

प्रेस-विज्ञप्ति
थाना- रानी की सराय, जनपद आजमगढ़
नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं पाक्सो एक्ट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, वादिनी की पुत्री सकुशल बरामद।

दिनांक 07.04.2026 को **वादिनी** द्वारा थाना रानी की सराय पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि उसकी **नाबालिग पुत्री** को अभियुक्त **इन्दल यादव पुत्र वंशराज यादव निवासी ग्राम चड़ई, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़** बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 74/2026**

धारा **87/137(2) बीएनएस** के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में **धारा 64(1) बीएनएस एवं 3/4 पाक्सो एक्ट** की बढ़ोत्तरी की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा अपराधियों एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण एवं थानाध्यक्ष रानी की सराय के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक **26.06.2026** को समय **18:30 बजे** रुदरी मोड़ से वांछित अभियुक्त **इन्दल यादव** को गिरफ्तार किया गया तथा **वादिनी की पुत्री** को सकुशल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग:
1- मु0अ0सं0 **74/2026**, धारा **87/137(2), 64(1) बीएनएस** एवं **3/4 पाक्सो एक्ट**।
गिरफ्तार अभियुक्त:
1-इन्दल यादव पुत्र वंशराज यादव, निवासी ग्राम चड़ई, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:
उ0नि0 हैदर अली मंसूरी, हे0का0 पुष्पेन्द्र सिंह एवं रि0का0 आरती कुशवाहा।
जनपद आजमगढ़ पुलिस महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा तथा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी एवं त्वरित विधिक कार्रवाई के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

प्रेस नोट
थाना-अहरौला, जनपद आजमगढ़

◆ **साइबर फ्रॉड के पीड़ित को ₹5,000 की धनराशि कराई गई वापस**

◆ **थाना अहरौला की साइबर टीम की त्वरित कार्रवाई से पीड़ित के खाते में वापस हुई पूरी धनराशि**

दिनांक **22.11.2025** को थाना अहरौला क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो गया था। साइबर ठग द्वारा उसके बैंक खाते से **₹5,000/-** की धनराशि धोखाधड़ी के माध्यम से निकाल ली गई। घटना के संबंध में पीड़ित द्वारा तत्काल **एनसीआरपी (NCRP) पोर्टल** पर शिकायत संख्या **33111250167137** दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर संबंधित बैंक खाते में फ्रॉड की धनराशि को होल्ड कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में साइबर अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के क्रम में थाना अहरौला की साइबर हेल्प डेस्क द्वारा शिकायत का तत्परता से अनुसरण किया गया। साइबर टीम ने **एमआरएम (MRM) पोर्टल** के माध्यम से आवश्यक समन्वय एवं विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर पीड़ित की **₹5,000/-** की संपूर्ण धनराशि उसके बैंक खाते में सफलतापूर्वक वापस कराई।

धनराशि वापस मिलने पर पीड़ित ने आजमगढ़ पुलिस एवं थाना अहरौला की साइबर टीम का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।
जनसंदेश:
आजमगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर बिना विलंब **1930 साइबर हेल्पलाइन** अथवा **एनसीआरपी पोर्टल** पर शिकायत दर्ज कराएं, जिससे समय रहते धनराशि होल्ड कराकर वापस कराए जाने की संभावना बढ़ जाती है।
साइबर टीम

1. उ0नि0 नितेश कुमार चौबे, रि0आ0 धर्मेन्द्र कुमार, रि0म0आ0 सोनी सिंह, थाना अहरौला, आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 27.06.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में **जेल में बितायी गयी अवधि (20 दिवस) के कारावास व 8000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना कोतवाली में पंजीकृत अपराध जिसमें अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में 1 आरोपी अभियुक्त को **जेल में बितायी गयी अवधि (20 दिवस) के कारावास व 8000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

➞ दिनांक- 09.04.2010 को वादी मुकदमा उ0नि0 महन्थ राम थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान **अभियुक्त बिरजा यादव पुत्र सुरजा यादव निवासी आहोपट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 5 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद होना।**

➞ अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-544/2010 धारा-272 भादवि व 60 आब0 अधि0 पंजीकृत किया गया।

➞ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➞ मुकदमा उपरोक्त में 5 गवाह परीक्षित हुए है।

➞जिसके क्रम में आज दिनांक- 27.06.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0/ एन्टीकरप्शन(SPL) कोर्ट नं0-1 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त बिरजा यादव पुत्र सुरजा यादव निवासी आहोपट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि (20 दिवस) के कारावास व 8000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**